

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 7/2014

प्रहलाद पुत्र रतना जाति मीणा निवासी रक्सपुरिया तहसील मांगरोल जिला बारां

..... प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री हिम्मता राम मेहरा (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री दया कृष्ण धाकड़

दायरा दिनांक: 03.03.2014

निर्णय दिनांक : 05.07.2017

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खाते की आराजी ग्राम रक्सपुरिया में स्थित है जिसके खाता संख्या नया 32 कुल किता 12 रकबा 4.77 है0 राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि में से आराजी खसरा नं0 218/386 रकबा 0.07 है0 भूमि ही विवादित है। विवादित आराजी के साबिक खसरा नं0 194 रकबा 19 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। सेटलमेंट विभाग द्वारा पूर्व के रकबे के मुताबिक 12 बिस्वा आराजी हाल रेकार्ड में कम दर्ज कर दी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नं0 218/388 रकबा 0.07 है0 में 0.12 है0 कमी रकबा जोड़ते हुए पूर्ण रकबा 0.19 है0 किये जाने का आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त संबंध में तहसीलदार मांगरोल से जॉच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मांगरोल ने अपने पत्रांक: भूअ./2017/11 दिनांक 05.07.2017 के द्वारा अंकन किया कि प्रार्थी कमी रकब 0.07 है0 की पूर्ति करवाना चाहता है। समीपस्थ खसरा नम्बर का अवलोकन किया गया किसी भी खसरा नं0 में रकबा बढ़ा हुआ नहीं है तथा प्रार्थी के कमी रकबे की पूर्ति नहीं की जा सकती है।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी ने बाद सेटलमेंट हुई कमी रकबे की पूर्ति करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी के समीपस्थ किसी भी खसरा नम्बरान में रकबा बढ़ा हुआ नहीं है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि कमी रकबे की पूर्ति किस खसरा नम्बर से की जानी है। तथा ना ही मिलान क्षेत्रफल संलग्न किया है। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

लिखित करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 खारिज किया जाता है। पत्रावली कैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2017 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट केम्प महुआ मजमेंआम में सुनाया गया।

(हिम्मता राम मेहरा)
उपखण्ड अधिकारी
मामराल